(182)

(230)

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश,
छत्तीसगढ़ रायपुर

2827/02830

क्रमांक /   /टी.सी.आर.–2/नग्रानि/05   रायपुर, दिनांक 26/12/05

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय कार्यालय समस्त (छ0ग0) ।

विषय :– विकास योजना के आरक्षित भूमि उपयोग उपांतरण के संबंध में ।

विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत आरक्षित भूमि उपयोग से भिन्न उपयोग के उपांतरण हेतु प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से तैयार कर भेजने हेतु संचालनालय द्वारा निर्देशित किया जाता है । प्रायः यह देखा गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रकरण को उच्च प्राथमिकता न देते हुए विलंब से प्रतिवेदन भेजा जाता है, जो खेद का विषय है।

छ0ग0 शासन के नीतिगत विषयों में कतिपय विभाग द्वारा समय–सीमा में योजना तैयार करना एवं क्रियान्वयन किया जाना होता है । अतएव भूमि उपयोग उपांतरण के संबंधित प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रतिवेदन भेजने में विलंब से उपांतरण समय पर नहीं हो पाता फलस्वरूप योजनाओं के अभिन्यास स्वीकृत नहीं हो पाते है । शासन से भूमि उपयोग उपांतरण में स्वीकृति मिलने के पश्चात् स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में दो दिन लगातार सूचना प्रकाशित किया जाना विधिक अनिवार्यता है । अतः संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी सूचना प्रकाशन तत्काल हो यह सुनिश्चित करें तथा विधि–विहित 15 दिनों के बाद संबंधित कलेक्टर एवं स्थानीय निकाय से तत्संबंधी आपत्ति/सुझाव यदि कोई होतो प्राप्त किया जाकर एक सप्ताह के अंदर संचालनालय को उपलब्ध कराये । मूल समाचार पत्रों के दो सेट आवश्यक रूप से भेजे जावें ।

समय–सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित हो इस हेतु प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें एवं प्रकरणों में यदि किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें ।

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
छत्तीसगढ़ रायपुर

O/C

TC pm5-50